bihar govt order

पत्र संख्या-सी/ज०ए०-5501/08-________________/

बिहार सरकार

गृह (विशेष) विभाग।

प्रेषक:

श्री कमल नारायण सिंह,
सरकार के उप सचिव।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी।

पटना, दिनांक- अगस्त, 08

विषय: गृह विभाग के जन शिकायत कोषांग में दिनांक-8-7-08 को प्राप्त परिवाद पत्र।

प्रसंग: मुख्य मंत्री सचिवालय का पंजीयन क्रमांक-2506891167

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक जन शिकायत कोषांग के पत्रांक-959 दिनांक-13-8-08 एवं श्री संजय कुमार जैन, प्रेसिडेन्ट, विश्व जैन संगठन, टीका कुंज IX/1976 गली नं0-4 कैलाश नगर दिल्ली-31 का आवेदन प्रति अनुलग्नक संलग्न करते हुए कहना है कि जैन का त्योहार दिनांक-04 सितम्बर से 14 सितम्बर, 2008 तक मनाया जायेगा।

अनुरोध है कि जैन त्योहार के अवसर पर वांछित आवेदन के आलोक में यथोचित कार्रवाई करने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाय।

विश्वासभाजन,

ह0/-
सरकार के उप सचिव।

कुम/29-8-08

ज्ञापांक-सी/ज०ए०-5501/08- /पटना, दिनांक- अगस्त, 08

प्रतिलिपि, सचिव, जन शिकायत कोषांग सह विशेष सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, पटना/उप सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, बिहार, पटना को जन शिकायत कोषांग 959 दिनांक-13-8-08 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-सी/ज०ए०-5501/08- /पटना, दिनांक- अगस्त, 08

प्रतिलिपि, प्रभारी पदाधिकारी, जन शिकायत कोषांग, गृह विभाग बिहार, पटना के पत्रांक-959 दिनांक-13-8-08 के प्रसंग में सूचनार्थ प्रेषित।

ह0/-
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-सी/ज०ए०-5501/08-8954/पटना, दिनांक- 29 अगस्त, 08

प्रतिलिपि, श्री संजय कुमार जैन, प्रेसिडेन्ट विश्व जैन संगठन, टीका कुंज-IX/1976 गली नं0-4 कैलाश नगर, नई दिल्ली-31 को सूचनार्थ प्रेषित।

29/8/08

सरकार के उप सचिव।

29/08/08

Chhattisgarh Govt order for Paryushan Parv

छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय,
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12/08/2009

क्रमांक 4124 4189 / 18 / 2006
प्रति

समस्त कलेक्टर,
जिला ....
छत्तीसगढ़

समस्त आयुक्त
नगर पालिक निगम,
.............................छ.ग.

समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत,
.......................जिला.......................

विषय :- विशिष्ट अवसरों पर पशुवध गृह बंद रखने बाबत।
संदर्भ :- इस विभाग का परिपत्र क्र. 434 / स / पर्या.न.वि. / 02, दिनांक 07.09.2002 एवं पत्र क्रमांक 7339, दिनांक 13.12.2007

---0---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रका अवलोकन करें। जिसके द्वारा विशिष्ट अवसरों पर पशुवध एवं मांस विक्रय की दुकाने बंद रखने के आदेश दिये गये थे। राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार निर्देशित किया जाता है, कि उपरोक्त अवसरों के अतिरिक्त जैन पर्युषण पर्व के अवसर पर भाद्रबदी द्वादस से भाद्र सुदी चतुर्थी तक 8 दिवस पशुवध गृह एवं मांस बिक्री की दुकाने बंद रखी जावे। कृपया शासन आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें।

12/8/09
(गेवनुस खलखो)
अवर सचिव

Ltr from Karnataka govt. for paryushan

ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ

ಸಂಖ್ಯೆ. ಆಪಸಂ/ಡಿವಿಡಿ-5/ವಿವ/ಪ್ರಾಕಸ/2009-10

ಆಯುಕ್ತರ ಕಛೇರಿ.
ಪಶುಪಾಲನಾ ಮತ್ತು ಪಶುವೈದ್ಯ ಸೇವಾ ಇಲಾಖೆ
ಬೆಂಗಳೂರು. ದಿ: 1[illegible]-08-2009.

ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು
ಪಶುಸಂಗೋಪನಾ ಮತ್ತು ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ,
ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ, ವಿಕಾಸ ಸೌಧ
ಬೆಂಗಳೂರು.

ಮಾನ್ಯರೆ,

ವಿಷಯ : ದಿನಾಂಕ:24-08-2009 ರಿಂದ 03-09-2009ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಜೈನರ ಹಬ್ಬ "ಪರ್ಯ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಪರ್ವ್" ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬಗ್ಗೆ ಮನವಿ.

ಉಲ್ಲೇಖ 1 ಸರ್ಕಾರದ ಪತ್ರಸಂಖ್ಯೆ. ಪಸಂಮೀ/92/ಸಲೆವಿ:2009 ದಿನಾಂಕ 27-07-2009.

2 ಗೋವಂಶ ಹತ್ಯೆ ಮುಕ್ತ-ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ ರವರು ಆಯುಕ್ತರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿರುವ ಪತ್ರದ ದಿನಾಂಕ:13-08-2009.

******

ವಧಾಗಾರಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಬೃಹತ್ ಮಹಾ ನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಅಧೀನದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇವುಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದರಿಂದ ಜೈನರ ಹಬ್ಬ "ಪರ್ಯ್ಯೂಷನ್ ಅಂಡ್ ದಸ್ ಲಕ್ಷಣ್ ಪರ್ವ್" ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಧಾಗೃಹಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಆದೇಶವನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯ ಮತ್ತು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲಾಖೆಯವರಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲು ತಿಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.

ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಿ,
ಸಹಿ:
ಆಯುಕ್ತರು.

ಪ್ರತಿಯನ್ನು:-

1. ವಿಶ್ವ ಜೈನ್ ಸಂಘಟನ್, 9/1976 4ನೇ ಲೇನ್, ಕೈಲಾಶ್ ನಗರ, ದೆಹಲಿ-110031 ರವರ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ.
2. ಗೋವಂಶ ಹತ್ಯೆ ಮುಕ್ತ-ಕರ್ನಾಟಕ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಒಕ್ಕೂಟ(ಫೆಡರೇಷನ್), ನಂ:19, ವಲ್ಲಭನಿಕೇತನ, ವೀಕ್ಷ ನೀಡಂ, ಗಾಂಧಿ ಭವನ ಪಕ್ಕ, ಕುಮಾರ ಪಾರ್ಕ್ ಪೂರ್ವ, ಶಿವಾನಂದ ಸ್ಟೋರ್ ಬೆಂಗಳೂರು-01.

ಆಯುಕ್ತರು.

DVD-Section.DOC(A)

ltr from up govt

<u>सूचना का अधिकार अधिनियम–2005</u>

उत्तर प्रदेश शासन
नगर विकास अनुभाग–8
संख्या–1092 सू./नौ–8–2011–43 सू0/2011
लखनऊ : दिनांक 23 नवम्बर, 2011

श्री संजय कुमार जैन,
विश्वा जैन संगठन
9/1976, लेन–4, कैलाश नगर,
<u>दिल्ली पिन (कोड–1110031)।</u>

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 के अंतर्गत अपने पत्र दिनांक 19.5.2011 में उल्लिखित ज्ञापन के संबंध में सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा विषयक अपने पत्र दिनांक 28.10.2011 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबंध में यह अवगत कराना है कि उ0प्र0 शासन द्वारा 08 नये यांत्रिक पशु वधशाला की स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है। कृपया वस्तुस्थिति से अवगत होना चाहें।

(ध्रुव कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव एवं जनसूचना अधिकारी।

<u>संख्या–1092 सू0(1)/नौ–8–2011, तददिनांक :</u>

प्रतिलिपि लेखा कोष्ठक, नगर विकास को भारतीय पोस्टल आर्डर सं0–92 ई–262045, रू0–10/– को मूल रूप में संलग्न कर प्रेषित करते हुए अपेक्षित है कि इसे सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की सुसंगत धारा के अंतर्गत जमा कराने का कष्ट करें।

(ध्रुव कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव एवं जनसूचना अधिकारी।

Rajasthan Govt Order for Paryushan parv

राजस्थान सरकार

निदेशालय, स्थानीय निकाय विभाग, राज0 जयपुर

क्रमांक प.24 (ग) (13)/ नियम/डीएलबी/89/पार्ट–II 647-735. दिनांक 28-

समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी
आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
समस्त नगर निगम/परिषद/पालिकाऐं।

विषय :- पशु–वधगृह बन्द करने के क्रम में।
प्रसंग :– पूर्व विभागीय समसंख्यक पत्रांक 438–637 दिनांक 22.07.09

....

पूर्व विभागीय समसंख्यक पत्रांक 438–637 दिनांक 22.07.09 द्वारा जैन धर्म के प्रर्यूषण पर्व पर राज्य सरकार के निर्णयानुसार दिनांक 17 अगस्त, 2009 से 24 अगस्त, 2009 तक राज्य की सभी बूचड़खाने, मांस–मछली की दुकानें बन्द रखी जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए दिनांक 17 अगस्त, 2009 से 04 सितम्बर, 2009 तक राज्य की सभी बूचड़खाने, मांस–मछली की दुकानें बन्द रखी जावे।

उप शासन सचिव
दिनांक

क्रमांक प.24 (ग) (13)/ नियम/डीएलबी/89/पार्ट–II
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्य मंत्री, राजस्थान।
2. निजी सचिव, माननीय मंत्री, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, राजस्थान।
4. अतिरिक्त आयुक्त, उदयपुर एवं अतिरिक्त आयुक्त/आबकारी विभाग जयपुर को माननीय मुख्य मंत्री से प्राप्त अभ्यावेदन की प्रति भेजकर लेख है कि अभ्यावेदन में पर्यूषण पर्व पर शराब की दुकानें बन्द रखने की अपेक्षा की है। इस सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने का श्रम करें।
5. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय।
6. समस्त उप निदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
7. सुरक्षित पत्रावली।

सहायक विधि परामर्शी